

दूर्वा

भाग 3

कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक
(द्वितीय भाषा)



0848



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0848 – दूर्वा (भाग-3)

कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-81-7450-809-6

प्रथम संस्करण

जनवरी 2008	माघ 1929
पुनर्मुद्रण	
दिसंबर 2008	पौष 1930
जनवरी 2010	माघ 1931
फरवरी 2011	फाल्गुन 1932
मार्च 2013	फाल्गुन 1934
अक्टूबर 2013	आश्विन 1935
दिसंबर 2014	पौष 1936
मई 2016	वैशाख 1938
दिसंबर 2016	पौष 1938
जनवरी 2018	माघ 1939
दिसंबर 2018	अग्रहायण 1940
अगस्त 2019	श्रावण 1941
नवंबर 2021	कार्तिक 1943

PD 25T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2008

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा.लि., एच-16, यू.पी.एस.आई.डी.सी., इंडस्ट्रियल एरिया, नवादा, समोहार, नैनी, इलाहाबाद - 211010 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खंड की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016	Phone : 011-26562708
108, 100 फीट रोड हेली एक्सप्रेसवे, होस्टेकेरे बनाशंकर III स्टेज बेंगलुरु 560 085	Phone : 080-26725740
नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	Phone : 079-27541446
सी.डब्ल्यू.सी. कैपस निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी कोलकाता 700 114	Phone : 033-25530454
सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगांव गुवाहाटी 781021	Phone : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: अनूप कुमार राजपूत
मुख्य संपादक	: श्वेता उप्पल
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: विपिन दिवान
संपादक	: एम. लाल
सहायक उत्पादन अधिकारी	: दीपक जैसवाल

आवरण एवं चित्रांकन

अरविंदर चावला

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञा दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकेंगे। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में



बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए परिषद् उनके प्राचार्यों एवं उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। परिषद् माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मिरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती है। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

नयी दिल्ली
30 नवम्बर 2007

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्



अध्यापक बंधुओं से

यह किताब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नयी रूपरेखा भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानते हुए उसे पाठ्यक्रम के हर विषय से जोड़कर देखती है। हम जानते हैं कि भाषा की शिक्षा मातृभाषा से प्रभावित मात्र ही नहीं होती बल्कि वह द्वितीय भाषा कौशल की समृद्धि में भी लाभप्रद और सहायक सिद्ध होती है। इसलिए बदलते परिवेश एवं संदर्भ में ज्ञान के क्षेत्रों में हो रहे व्यापक परिवर्तन के कारण भी भाषा की शिक्षा को अन्य विषयों की शिक्षा के साथ मिलाजुलाकर देखने की ज़रूरत है। भाषा की महत्ता तो स्वयं सिद्ध है। इसी को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की हिंदी की सामान्य संरचनाओं की जानकारी को धीरे-धीरे उसकी विशिष्ट और विपुल संरचनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के विविध रूप-स्वरूप को सरल, सहज और रुचिकर पाठों के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया है। हिंदी भाषा और साहित्य की विभिन्न विधाओं और शैलियों के साथ-साथ अन्य-विषयक ज्ञान से संबंधित सामग्रियों से तैयार विभिन्न पाठों द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी की समृद्ध परंपरा से स्वाभाविक रूप से जोड़ने की कोशिश की गई है।

पाठ्यपुस्तक में न केवल हिंदी के नए-पुराने महत्वपूर्ण रचनाकारों की बाल सुलभ रचनाओं को बल्कि ज्ञान के विविध विषय क्षेत्रों से सम्बद्ध हिंदी से व्यापक सरोकार रखनेवाले अन्य भाषा-भाषी लेखकों की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने-पढ़ाने वालों की हिंदी के प्रति रुचि को बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। हिंदी में उपलब्ध अनूदित बाल साहित्य को भी यथासंभव इसमें शामिल किया गया है। पाठों की भाषा और विषय-वस्तु न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अन्य विषयक ज्ञान को भी अपने अंदर समेटे हुए है। यह विद्यार्थियों की भाषा और साहित्य को पढ़ने-समझने और जानने-बताने की रुचि को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। इसमें नए तरह से प्रश्न-अभ्यास भी दिए गए हैं जिनके द्वारा विद्यार्थियों में भाषिक कौशल सहित ज्ञान के लिए आवश्यक अन्य कौशलों का भी स्वाभाविक रूप में पर्याप्त विकास हो सकेगा। इसलिए अभ्यासों में देखना, सुनना, अभिनय करना,



अभिव्यक्त करना, चिंतन करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या सुलझाना, सृजन करना, जिम्मेदारी निभाना, आत्मविश्वास पैदा करना, सजग रहना और समझ बढ़ाना जैसी क्रियाशीलताओं के साथ-साथ भाषा के ज्ञान को भी समृद्ध करने पर ध्यान दिया गया है। चित्र, नक्शे और तालिका आदि के प्रयोग द्वारा शब्दों के निर्माण व पहचान के साथ वाक्यों के समुचित व्यवहार और प्रयोग की समझ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। बहुभाषिकता को भाषा शिक्षण के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने पर भी बल दिया गया है। विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण की अपनी कुशलता और क्षमता सहित उनके परिवेश, विद्यालय और शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध किए/कराए जाने वाले सभी संसाधनों सहित उनके भाषिक परिवेश की सीमाओं और विशिष्टताओं को भी यथासंभव ध्यान में रखा गया है।

पाठ्यपुस्तक में कुल उन्नीस पाठ हैं और अंतिम के दो पाठ 'आओ पत्रिका निकालें' और 'आह्वान' मात्र पढ़ने के लिए हैं। इसलिए पुस्तक में उसके साथ प्रश्न अभ्यास नहीं दिए गए हैं। भाषा सीखने में सिद्धांतों से अधिक व्यवहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने के लिए संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। अतः पढ़ाने के दरम्यान अध्यापक बंधु संदर्भ के अनुसार व्याकरणिक प्रयोगों को कक्षा की ज़रूरत के अनुसार स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं।

विद्यार्थियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, रुचि, कौशल और सोच को उसके आस-पास के परिवेश में ही विकसित करने हेतु पाठों व प्रश्न-अभ्यासों का चयन और निर्माण किया गया है। भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य तरीकों व संसाधनों का प्रयोग विद्यार्थियों और शिक्षकों की स्वाभाविक रुचि और अभ्यास पर ही निर्भर करता है। अतः आशा है विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा हिंदी शिक्षण की दिशा में इस पुस्तक का उपयोग समुचित ढंग से किया जाएगा। आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत है।



पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

अक्षय कुमार दीक्षित, हिंदी शिक्षक, निगम प्राथमिक विद्यालय, राजपुर, नयी दिल्ली।

आशा जोशी, प्रवाचक (हिंदी विभाग), एस.पी.एम. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

उषा शर्मा, प्रवाचक, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, पुष्कर रोड, अजमेर।

गुलाम मोइनुद्दीन खान, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, रमादेवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा।

गोबिंद प्रसाद, रीडर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

पूरन सहगल, निदेशक, मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान, मनासा, मध्य प्रदेश।

बी. प्रमीला देवी, हिंदी शिक्षिका, जवाहर नवोदय विद्यालय, एच.सी.यू. कैम्पस, रंगरेड्डी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

राम प्रकाश टिकेकर, सह-आचार्य, हिंदी विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति, आंध्र प्रदेश।

सी.ई.जीनी, प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आर-12, नेहरु एंक्लेव, कालकाजी, नयी दिल्ली।

सुब्रत लाहिड़ी, पूर्व सह-आचार्य, प्रेसिडेंसी कॉलेज, 63-ए, साउथ सिंचिरोड, कोलकाता।

सदस्य-समन्वयक

संजय कुमार सुमन, वरिष्ठ प्रवक्ता, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

नरेश कोहली, प्रवक्ता, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।



आभार

इस पुस्तक में रचनाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति देने के लिए परिषद् सभी रचनाकारों, रचनाकारों के परिजनों, संस्थानों, प्रकाशकों के प्रति आभारी है।

पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए हम कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग) के प्रभारी परशराम कौशिक, डी.टी.पी. ऑपरेटर कमलेश आर्य, कॉपी एडिटर पूजा नेगी और प्रूफ रीडर दुर्गा देवी एवं कंचन शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।





आमुख

iii

अध्यापक बंधुओं से

v

1. गुड़िया (कविता)	— कुँवर नारायण	1
2. दो गौरैया (कहानी)	— भीष्म साहनी	5
3. चिट्ठियों में यूरोप (पत्र)	— सोमदत्त	16
4. ओस (कविता)	— सोहनलाल द्विवेदी	23
5. नाटक में नाटक (कहानी)	— मंगल सक्सेना	28
6. सागर यात्रा (यात्रा वृत्तांत)	— कर्नल टी.सी.एस. चौधरी	37
7. उठ किसान ओ (कविता)	— त्रिलोचन	45
8. सस्ते का चक्कर (एकांकी)	— सूर्यबाला	50
9. एक खिलाड़ी की कुछ यादें (संस्मरण)	— केशवदत्त	60
10. बस की सैर (कहानी)	— वल्ली कानन	65
11. हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी —मारिया नेज्यैशी (भेंटवार्ता)	— जय प्रकाश पांडेय	74
12. आषाढ़ का पहला दिन (कविता)	— भवानी प्रसाद मिश्र	82
13. अन्याय के खिलाफ (कहानी) (आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष कथा)	— चकमक से	85
14. बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्लै (व्यक्तित्व)	— आशा रानी व्होरा	93
15. फ़र्श पर (कविता)	— निर्मला गर्ग	101
16. बूढ़ी अम्मा की बात (लोककथा)	— संकलित	104
17. वह सुबह कभी तो आएगी (निबंध)	— सलमा	110
18. आओ पत्रिका निकालें (अतिरिक्त पठन के लिए)	— सर्वेश्वर दयाल सक्सेना	116
19. आह्वान (अतिरिक्त पठन के लिए)	— अशफ़ाक उल्ला खाँ	119





भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।